

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़ (राज0)

(वन विभाग परिसर, प्रताप सर्किल, चित्तौड़गढ़.312001;Ph&Fax :01472-241049;email : def.chitor.forest@rajasthan.gov.in)

पत्र क्रमांक : एफ () एफ.सी.ए./उवसं/2024 -25/५५९

दिनांक : 17.01.2025

निमित्त,

सदस्य सचिव,

FC- पी.एस.सी. जयपुर

विषय :- Diversion of 6.54 ha of forest land in favour of Ajmer Vidyut Vitran Nigam Limited for creation of 33 KV line to new grid sub-station Jogniya Mata, Chittorgarh Territorial Division. (Proposal No. FP/RJ/TRANS/50545/2020)

प्रसंग :-पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर का पत्र क्रमांक दिनांक 8.1.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर के पत्र दिनांक 8.1.2025 के द्वारा प्रकरण संख्या FP/RJ/TRANS/50545/2020 अर्न्तगत 5 हैक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र होने के कारण पी.एस.सी. द्वारा अनुमोदन चाही गई है। अतः मूल ही पी.एस.सी. द्वारा आवश्यक कार्यवाही के लिये प्रेषित है।

भवदीय

(विजय शंकर पाण्डेय)
उप वन संरक्षक,
चित्तौड़गढ़

पत्र क्रमांक : एफ () एफ.सी.ए./उवसं/2024 -25/९५०-५२

दिनांक : 17.01.2025

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान - जयपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित है।
2. संभागीय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर
3. सहायक अभियन्ता, (प व स) अ.वि.वि.नि. लि., बेगू

उप वन संरक्षक,
चित्तौड़गढ़